

प्रेषक,

डा० मन्नान अख्तर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०, लखनऊ।
4. अध्यक्ष/सचिव, इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन, उ०प्र०।
5. अध्यक्ष/सचिव, नर्सिंग होम एसोसिएशन, उ०प्र०।

चिकित्सा अनुभाग-8

लखनऊ : दिनांक : 12 सितम्बर, 2022

विषय:-राज्य में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ए०बी०डी०एम०) के अनुरूप हास्पिटल मैनेजमेन्ट इन्फार्मेशन सिस्टम अपनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण की दिशा में भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से माह सितम्बर, 2021 में 'आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन' (ए०बी०डी०एम०) का शुभारम्भ किया गया है, जिसका उत्तर प्रदेश में क्रियान्वयन किया जाना है।

2. उपरोक्त के क्रम में विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-8 के पत्र संख्या-जी०आई०-41/पांच-8-2022, दिनांक 18.08.2022 के द्वारा प्रेषित राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, भारत सरकार के पत्र संख्या-एस-12019/122/2021-एनडीएचएम, दिनांक 13.07.2022 (प्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निम्नुसार अपेक्षा की गयी है:-

- 1- NABH full accredited, Gold certified to switch to ABDM Compliant HMIS not later than 1 Jan, 2023.
- 2- NABH entry level accredited, Silver certified to switch to ABDM Compliant HMIS not later than 1 Apr 2023.
- 3- Bronze certified or those with 75 beds or more (excluding those at number 1 and 2 above) to switch to ABDM Compliant HMIS not later than 1 Jun 2023.
- 4- Other PMJAY empaneled hospitals to switch to ABDM Compliant HMIS not later than 1 Sep 2023.

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं के संदर्भ में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने अधीन संचालित चिकित्सालयों में प्रश्नगत योजना के संबंध में भारत सरकार द्वारा प्रेषित दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय,

(डा० मन्नान अख्तर)
विशेष सचिव

संख्या-1 680 (1)/पांच-8-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
2. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अधिशासी निदेशक, उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग इकाई, लखनऊ।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्दन कुमार रावत)
अनु सचिव

प्रेषक,

डा० मन्नान अख्तर,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०, लखनऊ।
4. अध्यक्ष/सचिव, इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन, उ०प्र०।
5. अध्यक्ष/सचिव, नर्सिंग होम एसोसिएशन, उ०प्र०।

चिकित्सा अनुभाग-8

लखनऊ : दिनांक : 12 सितम्बर, 2022

विषय:-राज्य में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ए०बी०डी०एम०) के अनुरूप हास्पिटल मैनेजमेन्ट इन्फार्मेशन सिस्टम अपनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण की दिशा में भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से माह सितम्बर, 2021 में 'आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन' (ए०बी०डी०एम०) का शुभारम्भ किया गया है, जिसका उत्तर प्रदेश में क्रियान्वयन किया जाना है।

2. उपरोक्त के क्रम में विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-8 के पत्र संख्या-जी०आई०-41/पांच-8-2022, दिनांक 18.08.2022 के द्वारा प्रेषित राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, भारत सरकार के पत्र संख्या-एस-12019/122/2021-एनडीएचएम, दिनांक 13.07.2022 (प्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निम्नुसार अपेक्षा की गयी है:-

- 1- NABH full accredited, Gold certified to switch to ABDM Compliant HMIS not later than 1 Jan, 2023.
- 2- NABH entry level accredited, Silver certified to switch to ABDM Compliant HMIS not later than 1 Apr 2023.
- 3- Bronze certified or those with 75 beds or more (excluding those at number 1 and 2 above) to switch to ABDM Compliant HMIS not later than 1 Jun 2023.
- 4- Other PMJAY empaneled hospitals to switch to ABDM Compliant HMIS not later than 1 Sep 2023.

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं के संदर्भ में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने अधीन संचालित चिकित्सालयों में प्रश्नगत योजना के संबंध में भारत सरकार द्वारा प्रेषित दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय,

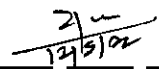
(डा० मन्नान अख्तर)

विशेष सचिव

संख्या- 1680 (1)/पांच-8-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
2. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अधिशासी निदेशक, उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग इकाई, लखनऊ।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्दन कुमार रावत)
अनु सचिव
*

संख्या 4290/एओसीएमओएचओ/2022

78

273

File No. S-12019/122/2021-NDHM
Government of India
National Health Authority

9-7

9th Floor, Tower-1,
Jeevan Bharti Building,
Connaught Place, New Delhi-110001
Dated 13th July 2022

Office Memorandum

Subject: - Adoption of Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM) Compliant Hospital Management Information System (HMIS) in States

National Health Authority (NHA) is implementing the Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM) through Central Ministries, State and UT Governments. ABDM aims to achieve seamless exchange of digital health information including digital health records through ABDM ecosystem. For successful adoption of the scheme, it is necessary that an ABDM compliant Hospital Management Information System (HMIS) is deployed and used in the health facilities.

2. In this regard, it is expected that hospital empaneled under PMJAY shall take a lead in this initiative and switch to use of ABDM compliant HMIS in a staggered manner so that the following medical records of the PMJAY patients are mandatorily generated through such ABDM compliant HMIS: Discharge summaries/cards, Immunization records, Lab reports, Imaging reports, Dispensation from pharmacies (For those records which are generated by lab, imaging centre and pharmacies which are inhouse, in the EHCP). The empaneled hospitals may also generate other records of PM-JAY patients such as Radiological images, Out-patient consultation and In-patient records from the said ABDM compliant HMIS. All such records should be linked to ABHA of the patient upon their consent. If a patient does not wish to link, then the reason thereof be specifically recorded.

3. It is therefore, required that EHCPs (empaneled hospitals) of PMJAY and which are:

- a. NABH full accredited, Gold certified to switch to ABDM Compliant HMIS not later than 1st Jan 2023.
NABH entry level accredited, Silver certified to switch to ABDM Compliant HMIS not later than 1st Apr 2023.
Bronze certified or those with 75 beds or more (excluding those at number 1 and 2 above) to switch to ABDM Compliant HMIS not later than 1st Jun 2023.
Other PMJAY empaneled hospitals to switch to ABDM Compliant HMIS not later than 1st Sep 2023.

4. Further, it may kindly be noted that if NABH/QCI makes similar conditions mandatory for NABH accreditation, then the stricter of the two rules (i.e., between those formulated by NABH and NHA) should apply.

5. State Mission Directors of ABDM are requested to provide necessary guidance to State Health Agencies and EHCPs.

6. This issue with the approval of the Competent Authority in the NHA

Sraddha Paul
(Sraddha Paul)
Deputy Director (Admin)

Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries/Secretaries of Health of all States/UTs

CEOs, State Health Agencies (SHAs) of all States/UTs

State/UTs Mission Directors of Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM) of all States/UTs

(10/07/22)
विशेष सचिव
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
उत्तर प्रदेश शासन

50-8
20/7/22

20/7/22